वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

4-10(39)/2024-HR-II Dated 03.06.2025

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख

विषय: यात्रा/अल्प प्रवास के दौरान सीएसआईआर कर्मचारियों/परिवार के सदस्यों द्वारा सीएसआईआर डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधाओं से सम्बन्धित ।

मुझे अवगत कराना है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के माध्यम से सीएसआईआर चिकित्सा सुविधाएं वर्तमान में सीएसआईआर मुख्यालय और दिल्ली स्थित इसकी प्रयोगशालाओं/संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ उन पेंशनभोगियों को भी प्रदान की जाती हैं, जो दिल्ली स्थित सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों से सेवानिवृत्त हुए हैं और दिल्ली में निवास करते हैं। वे निर्धारित चिकित्सा अंशदान के भुगतान के उपरान्त सीजीएचएस के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप अस्पताल में भर्ती होने सहित व्यापक चिकित्सा लाभ के हकदार हैं ।

दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र के बाहर स्थित सीएसआईआर प्रयोगशालाएं/संस्थान सीजीएचएस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं । ऐसी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के सेवारत कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनभोगी अपने आश्रित परिवार के सदस्यों के साथ, अपने संबंधित स्थानों पर सीएसआईआर डिस्पेंसरी अथवा अधिकृत चिकित्सा परिचारकों (एएमए) के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते हैं । ऐसे मामलों में चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति सीएस (एमए) नियमावली, 1944 द्वारा शासित होती है ।

इसके अतिरिक्त, सीएसआईआर द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार (दिनांक 12.03.2020 के पत्रांक 35-02(43)/2020-एचआर-III), महानिदेशक, सीएसआईआर ने चिकित्सीय परिस्थितियों के तर्कपूर्ण होने पर पेंशनभोगियों को उनके निवास स्थान के बाहर सीएसआईआर डिस्पेंसरियों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने को मंजूरी प्रदान कर दी है ।

परन्तु , सेवारत कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रयोगशालाओं/संस्थानों के परिसर में स्थित किसी भी सीएसआईआर डिस्पेंसरी में उपचार कराने की सुविधा से वंचित रखा जाता है, सिवाय उस डिस्पेंसरी के जहां वह कर्मचारी तैनात है ।

हम सभी वन सीएसआईआर परिवार का हिस्सा हैं और देशभर में सभी सीएसआईआर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सरकारी यात्रा या अल्पकालिक प्रवास के दौरान समान चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना एक उद्देश्य है, इसलिए इस प्रस्ताव को "सामान्य प्रशासन वार्षिक बैठक, 2024" में एक क्रियान्वयन योग्य बिंदु के रूप में उठाया गया। सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों (दिल्ली के अतिरिक्त) के डिस्पेंसरियों को

सीजीएचएस डिस्पेंसरियों के समतुल्य मानते हुए तथा सीएसआईआर के सभी सेवारत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में समान समझते हुए, महानिदेशक, सीएसआईआर ने वित्त सलाहकार की सहमति से अब यह निर्णय लिया है कि किसी भी सीएसआईआर औषधालय से चिकित्सा उपचार/रेफरल प्राप्त करने की सुविधा सीएसआईआर और इसकी सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कार्यरत कर्मचारियों को उनके भ्रमण, यात्रा या अल्पकालिक प्रवास के दौरान प्रदान की जाएगी। इससे सीएसआईआर की किसी भी डिस्पेंसरी में पंजीकृत कोई भी कर्मचारी दौरे, यात्रा अथवा अल्प प्रवास के दौरान आवश्यकतानुसार किसी भी सीएसआईआर स्वास्थ्य कल्याण केंद्र (वेलनेस सेंटर) में उपचार करा सकेगा ।

तदनुसार, निम्नलिखित दिशानिर्देश सभी CSIR प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों द्वारा अपनाए जाएं ताकि कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके और PAN इंडिया सभी कर्मचारियों को समान रूप से CSIR औषधालयों का लाभ दिया जा सके :

1. जिन सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों में डिस्पेंसरी की सुविधा है, वे सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के कर्मचारियों को उस स्टेशन पर उनके अल्प प्रवास/यात्रा के दौरान ओपीडी सुविधा और दवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दें।
2. विशेषज्ञ ओपीडी, नैदानिक परीक्षण, लघु प्रक्रियाएं, या आंतरिक उपचार जैसी सुविधाएं, जब आवश्यकता हो और कर्मचारी अल्पकालिक प्रवास पर हो, तब चिकित्सा प्रतिपूर्ति उस स्थिति में मान्य होगी जब रोगी को उस स्टेशन के CSIR औषधालय के चिकित्सा अधिकारी-प्रभारी द्वारा उपचार के लिए रेफर किया गया हो। ऐसे दावों की प्रतिपूर्ति CS (मेडिकल अटेंडेंस) नियम या CGHS दरों के तहत की जाएगी, जैसा कि कर्मचारी के पदस्थ कार्यालय द्वारा सरकारी या प्रयोगशाला मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आंतरिक उपचार के लिए निर्धारित है। यदि कर्मचारी को आंतरिक उपचार के लिए अग्रिम राशि की आवश्यकता हो, तो वह अग्रिम संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी जाएगी जहाँ कर्मचारी पदस्थ है।
3. वे सीएसआईआर कर्मचारी जो दिल्ली/एनसीआर में तैनात हैं (चूंकि उन्हें सीएसआईआर डिस्पेंसरी कार्ड नहीं बल्कि केवल सीजीएचएस कार्ड प्रदान किया गया है), उन्हें जारी किए गए सीजीएचएस कार्ड को स्वीकार करके, उनके अल्प प्रवास/यात्रा के दौरान दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र के बाहर स्थित सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों की सीएसआईआर डिस्पेंसरी सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है ।
4. इसके अतिरिक्त, चूंकि सीएसआईआर की दिल्ली/एनसीआर स्थित प्रयोगशालाओं/संस्थानों की अपनी डिस्पेंसरी नहीं है, इसलिए दिल्ली/एनसीआर की प्रयोगशालाओं से बाहर तैनात कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य, दिल्ली/एनसीआर में अपने अल्प प्रवास/यात्रा के दौरान दिल्ली/एनसीआर में स्थित सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

कृपया उपर्युक्त निर्णय को सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी प्रयोगशाला/संस्थान के सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं ।

भवदीय,
3/6/2025
(आलोक शर्मा)
उप सचिव

प्रतिलिपि: -

आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीएसआईआर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए ।